प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मुख्य/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक: 24 जून, 2016

विषय : राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन।

महोदय,

शासनादेश संख्या- सा-3- 517/ दस-2011/301(9)/एस0ए0बी0/ 2011, दिनाँक 21 मार्च, 2012 के प्रस्तर-4(3) में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :-

"4(3) माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक अभिदाता अंशदान के डाटाबेस के रख-रखाव तथा अभिदाता अंशदान फाइल NPSCAN में अपलोड करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।"

2- माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक के स्थान पर जिला विद्यालय निरीक्षक, जो आहरण वितरण अधिकारी हैं, को उपर्युक्त कार्य के सम्पादन हेतु उत्तरदायी बनाया जाये।

3- उक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनाँक 21-03-2012 के प्रस्तर-4(3) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जाये:-

"4(3) माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में जिला विद्यालय निरीक्षक अभिदाता अंशदान के डाटाबेस के रख-रखाव तथा अभिदाता अंशदान फाइल NPSCAN में अपलोड करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।"

--2--

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- शासनादेश दिनाँक 21-03-2012 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश दिनाँक 21-03-2012 की अन्य व्यवस्थायें यथावत रहेंगीं।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-19/2016/सा-3-490/दस-2016/301(9)/एस0ए0बी0/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4- वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा, लखनऊ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।